21 घंटे तक जिंदगी से लड़ता रहा निरवैर

बोरवेल ने निगल लीं मासूम की सांसें, सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन के तमाम प्रयास रहे बेअसर

अंबाला। धन्यौड़ा गांव में खुले पड़े बोरवेल ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे 330 फीट गहरे बोरवेल में गिरा साढ़े तीन वर्षीय निरवैर करीब 21 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा लेकिन बुधवार तड़के उसने दम तोड़ दिया।

पंजाब के संगरूर से बुलाए गए गुरिंदर सिंह ने अपने विशेष उपकरण और तकनीक की मदद से बुधवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे बच्चे को बाहर निकाला। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने पुलिस ने खेत मालिक हरनेक सिंह तथा खेत ठेके पर लेने वाले दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया लेकिन 330 फीट गहराई, बोरवेल में पानी का रिसाव और प्रतिकूल परिस्थितियां सबसे बड़ी चुनौती बन गईं। शुरुआती जांच में कैमरे से पता चला कि निरवैर करीब 260 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था।

मंगलवार दोपहर पहला प्रयास स्टील पाइप और रस्सी के फंदे की मदद से किया गया। फंदा बच्चे के हाथ तक पहुंचा भी लेकिन ऊपर खींचते समय कैमरे की तार उलझने से पकड़ छूट गई और बच्चा और नीचे खिसक गया। इसके बाद विशेष पाइप और हुक की मदद से कई प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली।

जब परिजनों को लगा कि लगातार प्रयास नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने पंजाब के संगरूर निवासी गुरिंदर सिंह को बुलाया। सोशल मीडिया पर उनके रेस्क्यू अभियानों के वीडियो देखकर परिवार ने उनसे संपर्क किया था। दो असफल प्रयासों के बाद तीसरी कोशिश में गुरिंदर सिंह बच्चे को बाहर निकालने में सफल रहे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ब्यूरो

बोरवेल से निकले निरवैर को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाती टीम, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सोशल मीडिया

पोस्टमार्टम में गंभीर चोटें व फेफड़ों में मिला पानी

अंबाला सिटी नागरिक अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के अनुसार, निरवैर के सिर, छाती और दोनों टखनों पर गंभीर चोटें थीं। उसके फेफड़ों में पानी मिलने के भी प्रमाण मिले। चिकित्सकों के अनुसार गंभीर चोटों और दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई।

थाने से हथियार चोरी के आरोपी ने हत्या का किया खुलासा, युवती गिरफ्तार

फरीदाबाद। सेक्टर-आठ थाना से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोनू से पूछताछ के दौरान उसके चचेरे भाई 19 वर्षीय शिवम की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी की कथित गर्लफ्रेंड सरिता को भी गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों पर शिवम की हत्या कर शव गुरुग्राम नहर में फेंकने का आरोप है। सेक्टर-आठ थाना से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोनू से 2025 में हुई एक कथित हत्या का खुलासा हुआ। संवाद

हरियाणा जीएसटी संग्रह वृद्धि में फिर देश में नंबर-1

नौ साल में दोगुने से ज्यादा हुआ राजस्व, जून 2026 में 4,175 करोड़ रुपये का संग्रह

पंचकूला। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के नौ वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में हरियाणा सरकार ने जीएसटी संग्रह में अपनी उपलब्धियां साझा कीं। अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर बना हुआ है।

समारोह की अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बरार ने की। इस अवसर पर विनय प्रताप सिंह, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स बार, कर सलाहकार और व्यापार जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आशिमा बरार ने बताया कि वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच हरियाणा का जीएसटी राजस्व दोगुने से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में हरियाणा का योगदान करीब 7.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में हरियाणा 22 प्रतिशत वृद्धि के साथ राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि में देश में पहले स्थान पर रहा। संवाद

प्रेस का स्टीकर लगा कर रहे थे अफीम तस्करी, दो गिरफ्तार

फतेहाबाद। सीआईए रतिया पुलिस ने एनएच-9 स्थित थांगड़ पुल के पास नाकाबंदी के दौरान 13.60 किलोग्राम अफीम के साथ एक महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी मध्यप्रदेश से अफीम लाकर हरियाणा व पंजाब में सप्लाई करने की तैयारी में थे। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त दिल्ली नंबर की होंडा सिटी कार भी जब्त कर ली है, जिस पर प्रेस का स्टीकर लगा हुआ था। संवाद

नरेला से सोनीपत तक मेट्रो विस्तार की तैयारी, 2029 तक पूरा होने की उम्मीद

सोनीपत। दिल्ली मेट्रो की पीली लाइन को नरेला से आगे नाथूपुर होते हुए सोनीपत तक बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। दिल्ली सरकार और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने फेज-5बी के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना 2029 तक पूरी होने की संभावना है। इससे सोनीपत और दिल्ली के बीच आवागमन और सुगम होगा।

परियोजना तय समयसीमा के अनुसार पूरी होने पर सोनीपत के हजारों दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को राजधानी से सीधे आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। मौजूदा येलो लाइन का विस्तार समयपुर बादली से नरेला तक करीब 12.89 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में किया जाएगा। इस खंड में आठ नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इससे बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। ब्यूरो

राज सिंह और उर्वशी रंगारा बने जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक

राज सिंह

उर्वशी रंगारा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों राज सिंह व उर्वशी रंगारा को तत्काल प्रभाव से संयुक्त निदेशक से अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। दोनों अधिकारियों को एफपीएल-13 (ग्रुप ए) वेतन स्तर में पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारी राज्य सेवा नियम, 1982 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। आयुक्त एवं सचिव की ओर से प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो

मनीषा हत्याकांड : हिमांक को शिमला ले गई पुलिस

रोहतक। सरस्वती पैराडाइज स्कूल, संजौली (शिमला) की संचालिका मनीषा मित्तल की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार उनके भाई हिमांक मित्तल को हिमाचल प्रदेश पुलिस बुधवार शाम करीब चार बजे ट्रांजिट रिमांड पर शिमला ले गई। सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी।

झूठा दुष्कर्म केस आरोपी का जीवन बर्बाद कर सकता है, उसकी सुरक्षा भी अदालत की जिम्मेदारी : हाईकोर्ट

कहा- सिर्फ पीड़िता का बयान पर्याप्त नहीं, 24 साल पुराने मामले में आरोपी बरी

अदालत से

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि झूठा मामला किसी आरोपी का जीवन बर्बाद कर सकता है और अदालत की जिम्मेदारी उसकी भी सुरक्षा करना है। अदालत ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सात वर्ष की सजा रद्द करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की पीठ ने कहा कि कानून में यह कोई पूर्वधारणा नहीं है कि दुष्कर्म की शिकायत करने वाली पीड़िता हर स्थिति में सत्य ही बोलती है। इसलिए अदालत का कर्तव्य है कि वह सभी साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे और केवल विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर ही दोषसिद्धि दे।

साक्ष्यों की विश्वसनीयता परखना जरूरी, दोषसिद्धि केवल भरोसेमंद सबूत पर हो

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म मामलों में पीड़िता का बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है लेकिन यदि वह स्वाभाविक, भरोसेमंद और अन्य साक्ष्यों से पुष्ट नहीं है तो केवल उसी आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में झूठे आरोप भी सामने आते रहे हैं जिनके पीछे निजी रंजिश, बदला या अन्य कारण हो सकते हैं। झूठे आरोप न केवल आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उसके जीवन और करियर पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष को आरोप संदेह से परे साबित करने होते हैं। न्याय केवल पीड़ित के अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी निर्दोष को गलत सजा न मिले। ब्यूरो

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा
प्लाट नं. आई.पी.-2, सैक्टर-3, नजदीक माजरी चौक, पंचकूला
वेबसाईट : www.itiharyana.gov.in
X Twitter handle: @Haryana ITIs

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 के दाखिले हेतु आवश्यक सूचना।

विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हरियाणा राज्य के सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला हेतु, दाखिला पोर्टल https://admissions.itiharyana.gov.in/ पर दिनांक 02.06.2026 से 30.06.2026 तक प्रार्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करते हुए उनका पंजीकरण करवाया गया था। उक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुए सभी पंजीकरण आवेदनों में प्रार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार ट्रेड/संस्थान का चयन कर विकल्प भरने एवं जमा कराने का अवसर दिनांक 03.07.2026 से 15.07.2026 तक प्रदान किया जा रहा है। अतः ऐसे सभी प्रार्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण कराया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने यूजर आईडी से विभागीय दाखिला पोर्टल पर लॉगिन करें तथा निर्धारित अवधि में अपने दाखिला फॉर्म में ट्रेड/संस्थान का विकल्प अनिवार्य रूप से दर्ज कर आवेदन सफलतापूर्वक जमा करें। केवल पूर्ण रूप से भरे एवं जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन ही आगे की दाखिला प्रक्रिया हेतु मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त आई.टी.आई में दाखिले हेतु नए आवेदन फॉर्म भी दिनांक 15.07.2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिले संबंधी शेष नियम एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

निदेशक
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हरियाणा

PRDH:1065/11/199/2027/46723/1/6 Dt: 01/07/2026

UTTARAKHAND CIVIL AVIATION DEVELOPMENT AUTHORITY (UCADA)
(Department of Civil Aviation)(Government of Uttarakhand)
Sahastradhara Helidrome, P.O. Kulhan, Dehradun- 248001, Uttarakhand
Email: ucadadoon@gmail.com; Website: www.ucada.in

Ref.: 4716/03/RFP/TWINENGINE/WETLEASE/UCADA/2026 DATE: 01/07/2026

CORRIGENDUM TO E-TENDER NOTICE

In continuation of the E-Tender Notice bearing Ref. No. **4708/03/RFP/TWINENGINE/WETLEASE/UCADA/2026** dated **30.06.2026** published in the newspapers, for **"Hiring of a Twin-Engine Helicopter for VVIP/VIP/Other Movement on a Wet-Lease Basis for a Period of 03 Months"**, the following amendments are hereby made to the Tender Notice:

S.No.	Particular	Existing Provision	Revised Provision
1.	Duration of Hiring	03 Months	06 Months
2.	Date of Pre-Bid Meeting	03.07.2026	06.07.2026
3.	Last Date of Submission of Bids	07.07.2026	14.07.2026

Except for the amendments specified above, all other contents of the E-Tender Notice shall remain unchanged.

ACEO, UCADA

OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION, Raipur (C.G.)

e-Procurement Tender Notice

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in
(First Call)

NIT NO: 298/AM/RMC/2026 RAIPUR DATED 01/07/2026

Online bids are invited for the following works of works up to **23/07/2026 at 17:30 hours.**

Sr. No	System Tender No.	Name of Work	Probable Amount of Contract	Cost of Tender form	Earnest Money Deposit	Eligible class of contractor/firm	Time allowed for Completion
1	194557	CONSTRUCTION OF RCC LINING AND ALLIED CIVIL WORK ALONG WITH PROVIDING, INSTALLING COMMISSIONING OF MECHANICAL SCREEN AND PROVIDING, INSTALLING, COMMISSIONING OF 10 KW SOLAR POWER PLANT AT CHINGRI NALA RAIPUR UNDER MUNCIPAL CORPORATION RAIPUR.	877.45 Lakh (SOR- 626.08 Lakh, NON SOR - 251.37 Lakh)	3000/-	4,38,725/-	B & Above	15 Months including Mansoon & 03 months Trial period.

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal https://eproc.cgstate.gov.in from 01.07.2026, 17:30 Hours (IST) on wards.
For more details on tender and bidding process you may please visit the above-mentioned portal.

NOTE: -
1. All eligible/interested contractors are mandated to get enrolled on e-Procurement portal.
2. Contractors can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of Electronic Procurement System. **Help Desk at Toll Free No. 18004199140** or through Email ID **helpdesk.eproc@cgswan.gov.in**
3. For More Details please download NIT details.
4. Mobile number-8878161768

EXECUTIVE ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR (C.G.)

Clean City, Green City, Dream City

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय : दुर्गा माता मंदिर कॉम्पलेक्स, पुराना जीटी रोड, करनाल (हरियाणा)

परिशिष्ट-IV-ए, [नियम 8(6)व 9(1) के प्रावधान को देखें]अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) व 9(1) के प्रावधान सहित पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत चल/अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। सर्वसाधारण एवं संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास रहन/प्रभारित अधोनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा जोकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, इसकी बिक्री **"जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" एवं "जो भी है वहां है आधार"** पर निम्न निर्दिष्ट ऋणकर्ताओं व गारंटरों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की देय राशि की वसूली के लिए 21.07.2026 को की जाएगी। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा (ईएमडी) तथा अन्य विवरण निम्न अनुसार है :-

अचल संपत्ति का विवरण (दिनांक 21.07.2026 को सूचीबद्ध ई-नीलामी-15 दिन की सूचना)

शाखा/ऋणकर्ता/गारंटर/रेहनकर्ता का नाम	शाखा प्रमुख एवं प्राधिकृत अधिकारी	संपत्ति के मालिक का नाम/ संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं देय राशि (लाख रु. में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	1. आरक्षित कीमत 2. ईएमडी	बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि
1. शाखा कार्यालय :पेहोवा श्रीमती नीलम रानी पत्नी श्री अमरजीत कुमार (ऋणकर्ता) सह-ऋणकर्ता - श्री राजीव खन्ना पुत्र श्री अमरजीत कुमार	श्री मनोज कुमार सिंगला MOB:8684064543/ श्री शिलेन्द्र कुमार MOB:9050111203	मालिक श्रीमती नीलम रानी पत्नी श्री अमरजीत कुमार/एसआरओ पेहोवा में बिक्री विलेख सं. 893/1 दिनांक 29-05-2014 द्वारा 83.33 वर्ग गज माप का सिटि कॉम्पलैक्स, वार्ड सं.-10, पुराना सिटी, समीप सरस्वती मंदिर, तहसील पेहोवा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा -136128 में फ्लैट (स्थल सं. - एफ-1, प्रथम तल) में स्थित सम्पत्ति के सभी जरूरी भाग। सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व-	10.05.2021 Rs. 13,73,624 + भावी ब्याज एवं अन्य खर्चे	15.01.2025 (भौतिक कब्जा)	Rs. 18.04 Lakh / Rs. 1,80,400	Rs. 0.20 lakh	21.07.2026

गली, पश्चिम- गली / चौक, उत्तर-गली, दक्षिण - फ्लैट सं. जी-1, श्री श्याम लाल खिल्लो का

ईएमडी व दस्तावेजों को जमा करवाने की अंतिम तिथि व समय (ऑनलाईन) नीलामी के दिन अर्थात 21.07.2026 को रात्रि12.00 बजे तक होगी।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.07.2026 को समय अप. 2.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ
बोलीदार वेबसाईट https://baanknet.com पर रजिस्टर करवाएं और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपने केवाईसी दस्तावेज अपलोड करें।
ईएमडी को एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर के जरिये (https://baanknet.com से चालान जनरेट करने के बाद) मनोकल ईएमडी वॉलेट में जमा करवाया जाएगा।
यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता 'https://baanknet.com' के जरिये संचालित की जाएगी।

दिनांक : 01.07.2026 स्थान: करनाल प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

यूनिट नं. / संपत्ति आई डी नं. 1KDE9NB7 / 414C616U136 जो डेपो कॉम्पलेक्स, दड़वा में स्थित है। नगर निगम यमुना नगर के मूलकर रिकार्ड में अलाटमैंट पत्र के मुताबिक मूल चंद के नाम दर्ज है। जिसकी मृत्यु 07.03.2008 को हो चुकी है। अब इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान लेखा देवी, लाल जी, मोहन, ललित कुमार, ज्योति कुमार, बबली, बिबे, सुरती पत्नी/ पुत्रान/ पुत्रियों ने वारसान रिपोर्ट के आधार कार्ड के आधार पर मूलकर रिकार्ड में अपना नाम इंद्राज करने वारे आवेदन किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार मूलकर रिकार्ड में इंद्राज करने/ मालकीयत कराने वारे कोई एतराज हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर-अंदर नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। देवेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

सूचना

मैं, शितिज मित्तल पुत्र स्व0. सतीश मित्तल निवासी म. नं. 245, राजेश कॉलोनी, जगाधरी, जिला यमुनानगर ब्यान करता हूँ कि मेरे पिता सतीश मित्तल पुत्र पुरन चन्द मित्तल की मृत्यु दिनांक 18.05.2010 को हो चुकी है। मृतक सतीश मित्तल के हम निम्नलिखित वारिस है: 1. विजय मित्तल (पत्नी) 2. शितिज मित्तल (पुत्र) 3.रिषी गोयल (पुत्री) मेरे पिता के वारिस है। इनके अलावा उनका कोई वारिस नही है। यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज है तो वह 15 दिन के अन्दर-अन्दर अपना एतराज तहसीलदार कार्यालय / नगर निगम कार्यालय में दर्ज करवायें।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रिहायशी प्लाट नं0 436डी सैक्टर 19 पार्ट 1 अर्बन एस्टेट कैथल जो कि आश्वनी शर्मा पुत्र श्याम लाल निवासी मकान नं: 703-ए सैक्टर 19 पार्ट 1 कैथल मृत्यु के समय पता भगत सिंह कालोनी कैथल के नाम थिया था। आश्वनी शर्मा पुत्र श्याम लाल का निधन दिनांक 03.12.2024 को हो चुका है। आश्वनी शर्मा के पिता श्याम लाल का निधन दिनांक 18.03.2001 को हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र नही है आश्वनी शर्मा की माता प्रकाश कौर का निधन दिनांक 06.07.2025 को हो चुका है। आश्वनी शर्मा पुत्र श्याम लाल की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र हर्ष शर्मा पुत्र आश्वनी कुमार निवासी गली नं: 3 भगत सिंह कालोनी बेकसाइड बस स्टैंड कैथल ने आरती शर्मा (पत्नी), प्रतीक शर्मा, पियूष शर्मा व कुनाल शर्मा (भाईयों) से अपने हक में शपथ पत्र लेकर आवेदन पत्र दिया है, कि उक्त प्लाट नं0 436डी सैक्टर 19 पार्ट 1 अर्बन एस्टेट कैथल की मलकीयत उसके नाम की जाये और आश्वनी शर्मा पुत्र श्याम लाल का इनके इलावा कोई और लिगल वारिस नही है। अतः इस सूचना के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी और को कोई एतराज है तो वह अपनी आपत्ति इस नोटिस के जारी होने के 30 दिन के अन्दर-2 सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कैथल के कार्यालय में पेश होकर, या लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करवायें अन्यथा उक्त प्लाट नं0 436डी सैक्टर 19 पार्ट 1 अर्बन एस्टेट कैथल की मलकीयत उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात हर्ष शर्मा पुत्र आश्वनी कुमार के नाम हस्तांतरित कर दी जाएगी। जिसके बाद किसी भी अन्य कानूनी वारिस की उक्त प्लाट की मलकीयत पर कोई दावेदारी नही होगी।

(कानूनी वारिस)

कार्यालय तहसीलदार-कम-संयुक्त-सब-रजिस्ट्रार पानीपत

श्री विशाल गोयल पुत्र लेट श्री राम निवास गोयल निवासी मकान नम्बर 1232, सैक्टर 12, हुडा, पानीपत।

जनरल पब्लिक/बयाम

इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि विशाल गोयल पुत्र लेट श्री राम निवास गोयल निवासी मकान नम्बर 1232, सैक्टर 12, हुडा, पानीपत ने दस्तावेज पंजीकृत हेतु इस कार्यालय में पेश किया है। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, यह कि मेरे पिता लेट श्री राम निवास गोयल पुत्र लेट श्री रामरतन गोयल की मृत्यु दिनांक 29/08/2023 को हो चुकी है व मेरी दादी जी श्रीमति रेशम देवी धर्मपत्नी रामरतन गोयल की मृत्यु भी काफी अरसे पहले हो चुकी है, व मेरी माता जी श्रीमति कोकिला गोयल धर्मपत्नी लेट श्री राम निवास गोयल की मृत्यु भी दिनांक 12/01/2026 को हो चुकी है। यह कि लेट श्री राम निवास गोयल पुत्र लेट श्री रामरतन गोयल की मृत्यु बाद उनके निम्न उत्तराधिकारी / वारिस है: 1-विकास गोयल पुत्र 2- विशाल गोयल पुत्र 3-आरती गुप्ता पुत्री कुल 3 वारिस है। अन्य कोई वारस नही है। उपरोक्त वारसान के अन्य कोई वारिस व हकदार नहीं है व वारसान की तसदीक द्वारा अमित वारे नगर निगम वार्ड नम्बर 16 पानीपत व हिमांशु पटवारी पानीपत द्वारा दिनांक 28/06/2026 द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में इन्ही वारसान की तसदीक की गई है। इनके इलावा अन्य कोई वारिस / उत्तराधिकारी नहीं है। जिसके सम्बंध में माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक के बताये गये वारिस उत्तराधिकारी के बारे कोई शक एवं एतराज हो तो वह स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त 15 कार्य दिवस दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में कार्यदिवस के दिन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दस्तावेज का पंजीकरण कर दिया जायेगा। यह नोटिस बाबत इश्तहार आज दिनांक 30-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया

तहसीलदार कम-संयुक्त सब रजिस्ट्रार, पानीपत।

ज्युडीशीयल जिला मालखाना, जिला हिसार

श्रीमान जी,
ज्युडीशीयल जिला मालखाना हिसार में क्रम संख्या 1 से 18 तक के अभियोगों का माननीय अदालतों से फैसला हो चुका है, इन अभियोगों में बरामदशुदा वाहनों की सूची निम्न है जिनका नियमानुसार निपटारा किया जाना है। अतः निवेदन है कि निम्नलिखित सूचि अनुसार वाहनों को अखबार, सरकारी वैबसाईट इत्यादि के माध्यम से प्रकाशन किया जावे।

Sr. No.	Fir Detail	Case Property Vehicle	Decision	Court Name
1	Fir No. 123 Dt. 17.02.2007 U/S 279/337 IPC, PS Sadar Hisar	One Motorcycle Hero Honda, CD-100 No. HR-20C-2040, Ch. No. 95HL0F01115, Eng. No. 95H10E04629	Acquitted 06.03.2013	Sh. Hemant Yadav, JMIC Hisar
2	Fir No. 753 Dt. 19.09.2012 U/S 376 IPC, SC/ST Act., PS Sadar Hisar	One Motorcycle Bajaj Kawasaki, No. HR-20E-4754 Ch. No. 600, Eng. No. 31MBEF54629	Convicted 04.05.2013	Ms. Madhu khannaLali, ASJ Hisar
3	Fir No. 299 Dt. 25.03.2014 U/S 376 IPC, PS Sadar Hisar	One Motorcycle Hero Honda, CD-Deluxe No. HR-12K-2629, Ch. No. 07L02F04754, Eng. No. 07L22E07682	Acquitted 12.08.2015	Ms. Alka Malik, ASJ Hisar
4	Fir No. 881 Dt. 02.09.2017 U/S NDPS Act., PS Sadar Hisar	One Chevrolet Tavera No. PB-11BK-9065,	Convicted 21.08.2018	Sh. R.K. Jain, ASJ Hisar
5	Fir No. 719 Dt. 24.07.2018 U/S 18/61/85 NDPS Act. PS Sadar Hisar	One Motorcycle Yamha RX-135, No. HR-12D-0170 Ch. No. DDA145294143, Eng. No. 145294143	Convicted 13.11.2024	Sh. Nishant, ASJ Hisar
6	Fir No. 517 Dt. 25.05.2019 U/S 18/61/85 NDPS Act. PS Sadar Hisar	One TVS ScootyJuipter W/No. Eng. No. EG4H2299904	Convicted 06.05.2025	Sh. Amit Sherawat, ASJ Hisar
7	Fir No. 277 Dt. 16.12.2016 U/S 323/506/34 IPC PS Adampur	One Motorcycle Platina, No. HR-99WZ(T)-8419, Ch. No. MD2A76AZ2FRF64850, Eng No. PFZRFE84923	Acquitted 25.09.2023	Sh. Anterpreet Singh, JMIC Hisar
8	Fir No. 141 Dt. 27.05.2009 U/S 392 IPC, PS Uklana	One Bajaj Scooter No. HR-20F-8014	Acquitted 22.10.2013	Sh. Arvind Kumar JMIC, Hisar
9	Fir No. 266 Dt. 06.12.2008 U/S 279/304A IPC, PS Uklana	One Motorcycle Bajaj Kawasaki, No. HR-31A-5482 Ch. No. 31F96F05373, Eng No. 31M96F09395	Untrace 22.03.2009	Untrace
10	Fir No. 277 Dt. 02.10.2016 U/S 302 IPC, PS Agroha	One Car Tata Indigo No. HR-12F-4365	Acquitted 03.08.2022	Sh. Ajay Tewatia, ASJ Hisar
11	Fir No. 16 Dt. 22.01.2020 U/S376(2)n/328/506 IPC, PS Agrohc	One Motorcycle Honda CD-110 No. HR-99AAA(T)0392, Ch. No. ME4JC573KG8082851, Eng. No. JE67E82082168	Acquitted 10.01.2025	Sh. Vivek Singhal, ASJ Hisar
12	Fir No. 480 Dt. 12.11.2019 U/S 15/61/85 NDPS Act., PS Azad Nagar Hisar	One Car For Free Style, No. RJ-36AC-8115 Ch. No. MAJGXXMTKGJJ731O6 Eng. No. 1811319155205	Convicted 02.12.2021	Sh. Ved-Parkash Sirohi, ASJ Hisar
13	Fir No. 254 Dt. 27.05.2019 U/S 451 IPC, PS HTM Hisar	One Motorcycle HF-Deluxe, No. HR-99TT(T)-5620 Ch.No. MBLHA11AZGEO6O77, Eng. No. A11EKG9E05930	Acquitted 16.04.2025	Sh. Sunil Kumar JMIC, Hisar
14	Fir No. 159 Dt. 11.04.2019 U/S 394/452 IPC, PS HTM Hisar	One Motorcycle Hero Honda Splendor, No. HR-99YET-0730 Ch.No. MBLHAR082JHF77550, Eng. No. HA10AEJHHF58961	Convicted 27.09.2023	Sh. Nishant, ASJ Hisar
15	Fir No. 404 Dt. 16.08.2019 U/S 302 IPC, PS HTM Hisar	One Motorcycle Splendor No. HR-99(T)-5303 Ch.No. MBLHA10AMEHF-66015, Eng. No. HA10AEJEHF45384	Convicted 15.12.2023	Sh. Nishant, ASJ Hisar
16	Fir No. 28 Dt. 27.01.2017 U/S 302/201/120B IPC, 25 A.Act., PS Barwala	One Motorcycle Honda CD-110 W/No. Ch.No. ME47CJ671DF8100733, Eng. No. JC67E801006002	Acquitted 24.10.2024	Sh. D.K. Mittal, SJ Hisar
17	Fir No. 739 Dt. 30.08.2015 U/S 356/379/34 IPC, PS Civil Line Hisar	One Motorcycle HF-Deluxe W/No.Ch.No.MBLHA11ALF9C56803, Eng. No. HA11EJF9C60485	Acquitted 24.10.2024	Sh. D.K. Mittal, SJ Hisar
18	Fir No. 1089 Dt. 07.11.2009 U/S 392/34 IPC, PS City Hisar	One Scooter No. HR-21A-9179 Ch. No. 06CBFJ66218	Untrace 06.05.2010	Untrace

इन्चार्ज
ज्युडीशीयल जिला मालखाना हिसार।

PRDH:-1084/11/4985/2027/46722/1/6 Dt.01/07/2026

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

जोनल कार्याल